जनपद न्यायालय, गाजियाबाद ।
दिनांक 04.04.2014

सार्वजनिक सूचना

जिला न्यायालय परिसर स्थित राज नगर, गाजियाबाद में वित्तीय वर्ष 2014–15 तक के लिए फ्रूट–चाट एंव पान के ठेको की नीलामी दिनांक 19.04.2014 को सायं 04.00 बजे सैन्ट्रल हॉल, नजारत जनपद न्यायालय, गाजियाबाद में नीलाम समिति की देख–रेख में की जायेगी । नीलामी हेतु आवश्यक सूचना इस प्रकार है :–

1 नीलामी कार्यवाही में भाग लेने वाले ठेकेदार को निम्नलिखित चार्ट के अनुसार धरोहर धनराशि जमा करनी होगी ।
2 केवल उन बोली दाताओ को नीलाम की कार्यवाही में भाग लेने दिया जायेगा जिन पर ठेके की बाबत पिछले वित्तीय वर्षो का कोई बकाया शेष न हो ।
3 बोली स्वीकृत होने पर नीलाम की 25 प्रतिशत धनराशि तुरन्त जमा करानी होगी तथा शेष 75 प्रतिशत आगामी दो कार्य दिवसों की समाप्ति से पूर्व जमा करानी होगी उपरोक्तानुसार धनराशि जमा न कराने की दशा में धररोहर धनराशि जब्त हो जायगी ।
4 नीलाम को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार माननीय जनपद न्यायाधीश, गाजियाबाद को होगा ।
5 नीलाम की प्रकिया को माननीय जनपद न्यायाधीश, गाजियाबाद द्वारा अनुमोदन के पश्चात ही सम्पूर्ण माना जायेगा ।
6 नीलामी के अनुमोदन के पश्चात ठेका लेने वाले व्यक्ति से सम्बन्धित ठेके की बाबत अनुबन्ध अंकन 100/– रूपये के स्टाम्प पेपर पर नियमानुसार निष्पादित कराया जायेगा स्टाम्प नीलामी केता को खरीदकर देना होगा ।
7. प्रत्येक ठेके के लिए न्यायालय भवन के सामने सडक के पास स्थित खाली भूमि में विनिर्दिष्ट स्थान प्रदान किया जायेगा जिसमें ठेकेदार अपना–2 अस्थाई स्टाल लगाकर निर्धारित कार्य करेगें उक्त निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य किसी स्थान पर ठेके का कार्य नही किया जायेगा ।
8 जो बोलीदाता अधिकतम बोली के बोलने के पश्चात नीलामी की शर्तो का अनुपालनं नही करेगें उनकी धरोहर राशि राज्य सरकार के पक्ष में जब्त कर ली जायेगी ।
9 प्रत्येक बोलीदाता को बोली बोलते समय अपना पहचान–पत्र, आवास प्रमाण–पत्र व एक फोटो तथा टेलीफोन/मोबाइल नम्बर भी जमा करना होगा ।
10 प्रत्येक ठेका वित्तीय वर्ष 2014–2015 की अवधि के लिए छोडा जायेगा ।
11 यदि नीलामी की किसी शर्त का उल्लंघन उस ठेकेदार द्वारा किंया जाता है जिसके पक्ष में अंतिम बोली छोडी गई तो उसका ठेका तुरन्त निरस्त कर दिया जावेगा ।

धरोहर धनराशि का विवरण :–

कम संख्या	ठेके का विवरण	धरोहर राशि का विवरण	भूमि का विवरण
1	फ्रूट चाट/फ्रूट जूस	15,000,00 रूपये	खाली भूमि 28X11 फुट
2	पान	20,000.00 रूपये	खाली भूमि 20X11 फुट

7/4/14

अध्यक्ष कय/नीलाम समिति,
अपर जिला जज, न्यायालय संख्या–07,
गाजियाबाद।

अनुमोदित 7.4.14

प्रतिलिपि निम्नलिखित कार्यालयों के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु

1. जनपद न्यायाधीश, गाजियाबाद ।
2. जिलाधिकारी, गाजियाबाद ।
3. नगर निगम, गाजियाबाद ।
4. जी.डी.ए., गाजियाबाद ।
5. तहसील, गाजियाबाद ।
6. दैनिक समाचार–पत्र, मे निः शुल्क प्रकाशनार्थ ।
7. कम्प्यूटर विभाग, जनपद न्यायालय, गाजियाबाद को जनपद न्यायालय, गाजियाबाद एंव माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की वैबसाईट पर प्रकाशनार्थ प्रेषित ।